न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या– 256 / 2026

छातापुर थाना काण्ड संख्या– 287 / 2023

	मो0 रफीद .....आवेदक **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
18/06/26	कारा‌धीन अभियुक्त रफीद की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 कुर्बान मंसूरी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे मनगढ़न्त तरीके से ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–46 के अनुसार प्रार्थी आवेदक और अपहृता पति–पत्नी है। अपहृता को पूर्व पति ने उसे तलाक देकर भगा दिया था तथा जिससे एक लड़का भी है। अपहृता अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त से शादी कर उसके साथ रह रही है और अपहृता के पिता प्रार्थी अभियुक्त के साथ नहीं रहने देना चाहते है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी में केवल धारा 341, 323, 494, 498ए, 504, 506 भा.द.वि. के अन्तर्गत कांड को सत्य पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्त को बंध–पत्र पर छोड़ा गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 02 / 04 / 2026 को स्वतः ही न्यायालय में आत्मसर्मण किया है और तब से काराधीन है। प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। प्रस्तुत वाद सूचक निजामुद्दीन के आवेदन के आधार पर धारा 363, 365, 366 भा0द0वि0 के अंतर्गत छातापुर थाना कांड संख्या–287 / 23 दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 01 / 08 / 23 को समय 05.00 बजे शाम सूचक की लड़की शबनम खातुन मवेशी का घास लेकर घर लौटने के समय मो0 रफीद एवं दो अज्ञात व्यक्ति अपहरण करके भगा ले गया। सूचक उसके घर पर जाकर पूछा तो पता चला कि मो0 रफीद घर पर नहीं है। सूचक को पूर्ण विश्वास है कि उसकी बेटी का अपहरण करवाने में मो0 रफीद के पिता मो0 इम्दाद का भी हाथ है क्योंकि सूचक जब उसके घर पर गया तो उसके पिता उसे गाली–गलौज करते हुए बोला कि तुम्हारी बेटी को मैं अपना बहु बना लिया हूँ, तुम्हे जो करना है करो कुछ नहीं बिगाड़ पाओंगे। सूचक के पुत्री को दो वर्ष का एक लड़का भी है। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक की पुत्री का अपहरण कर भगा ले जाने का आरोप है। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका–46 में अपहृता ने 164 द.प्र.सं. के ब्यान में अभियुक्त को अपना पति बतायी है तथा मर्जी से शादी करने की बात कही है। कांड दैनिकी के कंडिका–67 में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी वर्णित है जिसमें कांड को धारा 341, 323, 494, 498ए, 504, 506 भा.द.वि. के अन्तर्गत सत्य पाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–68 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका–107 से स्पष्ट है कि अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्त	**लगातार...**

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या– 256 / 2026

छातापुर थाना काण्ड संख्या– 287 / 2023

18/06/26 लगातार	को बंध–पत्र पर छोड़ा गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 02 / 04 / 2026 को स्वतः ही न्यायालय में आत्मसर्मण किया है तथा लगभग ढ़ाई महीने से काराधीन है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को देखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त मो0 रफीद को विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000 / – रूपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेखापित ह0 / – (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	